न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6124

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 905/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 358/2026

CNR No. UPGZ010022602026

मनप्रीत कौर मठारू C/0 परमजीत सिंह बी–40 तृतीय तल कृष्णा कुंज कॉलौनी लक्ष्मीनगर ईस्ट दिल्ली।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 466/2025
धारा 318(4) BNS
थाना कोतवाली, गाजियाबाद।

12–03–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **मनप्रीत कौर मठारू** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार वादी भारतीय जीवन बीमा निगम में पिछले 24 वर्ष से बतौर बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। वादी की चार पांच वर्षो से अमन जोत सिंह से जान पहचान थी। उक्त अमन जोत सिंह ग्राउंड अपेरा बैंकट 68/1 शक्तिखण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कैंटरिंग का कार्य पिछले तीन वर्षो से करता चला आ रहा था। उक्त अमन जोत सिंह ने वादी से कैटरिंग के काम को आगे बढाने के लिये कुछ पैसो की सख्त आवश्यकता बताते हुए मांग की और कि वह उक्त बैंकट हाल को जनवरी–2025 में पूर्णतः लीज पर लेकर अपना कार्य बडे स्तर पर करेगा और कहा कि वह अपने उक्त बिजनेस में आपको पार्टनर बना लेगा। यदि आप उसके साथ पार्टनरशिप में काम करोगें तो कैटरिंग का काम में मुनाफा होने लगेगा तथा अमनजोत सिंह ने वादी को अधिक विश्वास में लाने के लिये उसके पास रामनगर में जीम कार्बेट में भी एक रिसर्ट हैं। उक्त अमन जोत सिंह ने वादी को रामनगर के रिसर्ट पर ले गया तथा वादी को अमन जोत सिंह पर पूर्ण विश्वास हो गया। वादी ने अमन जोत सिंह से कहा कि उक्त बिजनेस में लगाने के लिये उसके पास रूपये नहीं है। तब अमन जोत सिंह ने कहा कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढता रहेगा आप धीरे धीरे पैसे मुझे देते रहना, तब वादी ने अमन जोत सिंह की बातो पर विश्वास करके वादी ने यूपीआई पेटीएम से अंकन 5,85,000/–रूपये भिन्न–भिन्न तिथियो पर अमन जोत सिंह को दिये गये तथा अंकन 9,89,000/–रूपये आरटीजीएस के माध्यम से अमन जोत सिंह को दिये तथा यूटीआर द्वारा दो बार में 1,90,000/–रूपये अमन जोत बैंक खाते में डलवाए तथा 1,30,000/–रूपये वादी ने अपने बेटे अर्जुन गुर्जर के खाते

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.03.16 14:17:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से पेटीएम द्वारा किये गये तथा 8,90,000/–रूपये भिन्न–भिन्न तिथियो पर नगद दिये गये। इस प्रकार विपक्षी अमन जोत सिंह ने वादी को धोखा धडी से अंकन 27,93,000/–रूपये हडप लिये है। वादी ने अमन जोत सिंह से माह जुलाई–2025 में मुलाकात करनी चाही तो अमनजोत सिंह ने कहा कि वह दिनांक 02–08–2025 को मिलेगा, लेकिन पता चला कि अमन जोत सिंह धोखाधड़ी से उक्त बैंकट का सारा सामान बेचकर फरार हो गया है।

4– अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया हैं कि अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं। अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त का उक्त मुकदमें से कोई लेना देना नहीं हैं। अभियुक्त द्वारा कोई भी धनराशि का लेन देन किसी भी व्यक्ति से नहीं किया है। थाना हाजा की पुलिस उसे तंग व परेशान कर रही है तथा गिरफ्तार करना चाहती है। अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह अभियुक्त अमनजोत सिंह द्वारा वादी मुकदमा को व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाने के नाम पर अंकन 27,93,000/–रूपये विभिन्न तिथियो पर नगद व ऑनलाईन प्राप्त करना अभिकथित किया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्ता पर कोई आरोप नहीं लगाया गया हैं और न ही उसे नामजद किया गया है। अभियुक्त को कैंसर रोग से पीडित होना भी कहा गया है। रूपये का लेन देन सह अभियुक्त अमनजोत सिंह के मध्य हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। माननीय सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–02–2026 के अनुसार अभियुक्त को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्ध के सम्बन्ध में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मनप्रीत कौर मठारू** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन अंदर 15 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर नियत तिथियो पर उपस्थित होगी।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगी, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(V) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडनात्मक कार्यवाहियो का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त तभी रिहा किया जाएगी जब उसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

दिनांकः 12-03-2026

(अनिल कुमार-IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।